कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व): कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

जैसा कि हम सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष **14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस'** के रुप में मनाया जाता है और इस उपलक्ष में सभी जिला न्यायालयों में **हिन्दी** भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में व केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के तत्वाधान में आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक **14 सितंबर से 28 सितंबर तक, हिन्दी पखवाड़े** के दौरान, दिनांक 14 सितंबर से 28 सितंबर तक, हिन्दी पखवाड़े के दौरान **'स्वरचित रचना–(कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि)'** प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूर्वी जिला के समस्त न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता हेतु इच्छुक प्रत्याशी, हिन्दी में **'स्वरचित रचना–'कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि'** बंद लिफाफे में, **दिनांक 25 सितंबर 2026 तक नोडल अधिकारी (पूर्व), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली** को भेज सकते हैं

स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि) प्रेषित करने हेतु नियमः–

i) स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

ii) स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

iii) सभी प्रत्याशियों द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों को, माननीय नोडल अधिकारी तथा माननीय लिंक नोडल अधिकारी द्वारा जांचा/चैक किया जाएगा तथा दिनांक 28.09.2026 को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे।

iv) विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं सहभागिता प्रमाण पत्र, **'प्रमाण पत्र वितरण समारोह'** में दिए जाएंगे जो निकट भविष्य में आयोजित किया जाएगा तथा विजेताओं को, उनके द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों को मंच पर प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा।

v) इस प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी एवं लिंक नोडल अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा तथा किसी आवश्यक बदलाव का अधिकार भी इन्हें होगा।

vi) पुरस्कार वितरण राशि लगभग 13,000/– रुपये है जो निम्न प्रकार वितरित की जाएगी –

1.	प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/– रुपये
2.	द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/– रुपये
3.	तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/– रुपये
4.	प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	800/– रुपये

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जन भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए जिला न्यायालय में यथासंभव योगदान करें और इस कार्यक्रम में बढ़–चढ़ कर भाग लें।

(साएमा जैन)
नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

compiled,

संख्या 1904-1912/राजभाषा हिन्दी अनुभाग/पूर्व/क.क.डू./दिल्ली/2026 दिनांक 09 SEP 2026

परिपत्र की प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है-

1. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
3. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय. दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले/परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, पूर्व जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।
9. रीडर, नोडल अधिकारी (पूर्व), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।

21/2/26

नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।